

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 24.11.17

::आदेश::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	अरविन्द कुमार शर्मा	30.09.1958	30.09.2018
2.	सुनील कुमार जोशी	24.09.1958	30.09.2018
3.	वन्दना झा	01.08.1958	31.07.2018

संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	इन्द्र प्रकाश जैन	18.05.1958	31.05.2018
2.	मुरलीधर भारद्वाज	11.04.1958	30.04.2018
3.	नारायण सिंह	10.10.1958	31.10.2018

उप विधि परामर्शी


क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	मो0 अली खां	15.03.1959	31.03.2019
2.	अब्दुल रहमान पवार	15.08.1958	31.08.2018
3.	विनोद कुमार अग्रवाल	05.01.1959	31.01.2019
4.	विनोद कुमार शर्मा	07.10.1958	31.10.2018
5.	ब्रजबिहारी शर्मा	26.12.1958	31.12.2018

सहायक विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	रामकिशन शर्मा	01.07.1958	30.06.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव